

अनुमति की शर्तें ।

- (A) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (B) किसी भी प्रकार का शिवाज (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निर्माण का कार्य उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (C) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यक निर्माण को सुनिश्चित करेगा ।
- (D) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल शिफ्टी लैनल आवासीय प्रयोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 828 दिनांक 23/12/2020

प्रार्थीया/आप/एन प्रीमरी इना देवी जैन एन एन 2 डीमरी पोल्स जैन

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008

धारा 104 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No-20 ग्राम जेवा खसरी संख्या

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश 769/1, 751, 752

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 4,930/- जमा

जायेगी रसीद संख्या 2067/6397, 6398

दिनांक 23/12/2020 को जमा करा दी है ।

24/12/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

Sansar Lal
9413247650
24/12/20